

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड १

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ६९] नई दिल्ली गृहस्पतिवार अप्रैल १८, १९६८/चैत्र २९, १८९०

No. 69] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 18, 1968/CHAITRA 29, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

RESOLUTION

New Delhi, the 18th April 1968

No. 3(1)/67-BOT/P&P.—The following names may be added to Schedule I of this Ministry's Resolution No. 3(1)/67-BOT/P&P, dated the 13th January, 1968, relating to the Advisory Council on Trade.

II. Members of Parliament:

Members

Shri Barua, Badabrata.

Shri Barupal, Pannalal.

Shri Rajaram, K.

Shri Shah, Shantilal

Shri Somani, N. K.

Shri Sait, Saleh Mohammed.

III. Representatives of Commercial and Industrial Organisations:

Present Incumbent

President, Federation of Indian Export Organisation, New Delhi.—Shri P. A. Narielwala.

Chairman, Foreign Exchange Dealers Association of India, Bombay.—Shri S. B. Kaji.

President, Federation of Associations of Small Scale Industries, New Delhi.—Shri A. R. Bhat.

Chairman, East India Cotton Association, Bombay.—Shri M. R. Ruia.

President, Indian Cotton Mills Association, Bombay.—Shri M. M. Mangaldas.

VI. Non-Official Members:

Shri Charat Ram.

Shri Jain, L. C.

Shri Jayaswal, S. S.

Shri Mehta, B. K.

Shri Singhanla, G. K.

Shri Tandon, P. L.

Shri Somappa, M.

IX. Ex-officio-Official Members:

Present Incumbent

Secretary, Department of Agriculture, Ministry of Food and Agriculture.—Shri B. Sivaraman.

Chairman, Railway Board.—Shri G. D. Khandelwal.

Joint Secretary, in charge of Shipping, Ministry of Transport & Shipping.—Shri R. Doraiswamy.

Chairman, Central Board of Excise and Customs, New Delhi.—Shri D. P. Anand.

Chairman, Forward Market Commission, Bombay.—Shri A. S. Nayak.

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the Chairman, Deputy Chairman, Member of the Board of Trade and Advisory Council on Trade, the Private and Military Secretaries to the President, the Prime Minister's Secretariat, the Planning Commission, all Ministries of Government of India and all the State Governments in India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. C. BANERJEE, Jt. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1968

सं० 3(1)/67-बी० ओ० टी०/पी० एण्ड पी० :—व्यापार सलाहकार परिषद् सम्बन्धित इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 3(1)/67-बी० ओ० टी०/पी० एण्ड पी० दिनांक 13 जनवरी 1968 की अनुसूची एक में निम्नलिखित नाम जोड़े जाएं :—

बो—संसद सदस्य :

श्री बरुआ, वेदव्रत	मदस्य
श्री बारूपाल, पन्नालाल	"
श्री राजाराम, के	"
श्री शाह, शान्तिलाल	"
श्री सोमानी, एन० के०	"
श्री सैत, मलेह मोहम्मद	"

तीस-गांवियेक तथा औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि

विद्यमान पद्धती

अध्यक्ष, भारतीय निर्यात संगठन संघ, नई दिल्ली श्री पी० ए० नारिःलवाला

अध्यक्ष, फारेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन

आफ इंडिया, बम्बई ।

श्री एस० बी० काजी

अध्यक्ष, लघु उद्योग संगठन संघ, नई दिल्ली ।

श्री ए० आर० भट

अध्यक्ष, ईस्ट इंडिया काटन एसोसिएशन, बम्बई ।

श्री एम० आर० रुइया

अध्यक्ष, भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ, बम्बई ।

श्री एम० एम० मंगलदास

छः-गैर सरकारी सदस्य

श्री चरत राम

श्री जैन, एल० सी०

श्री जायसवाल, एस० एस०

श्री मेहता, बी० के०

श्री सिघानिया, जी० के०

श्री टंडन, पी० एल०

श्री सोमप्पा, एम०

तीस-पदेन सरकारी सदस्य

विद्यमान पद्धती

सचिव, कृषि विभाग, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ।

श्री बी० शिवरामन

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड ।

श्री जी० डी० खंडेलवाल

नौवहन के प्रभारी संयुक्त सचिव, परिवहन तथा

नौवहन मंत्रालय ।

श्री आर० डोरेस्वामी

अध्यक्ष, उत्पादन-शुल्क तथा सीमा शुल्क का

केन्द्रीय बोर्ड, नई दिल्ली ।

श्री डी० पी० आनन्द

अध्यक्ष, वायदा बाजार आयोग, बम्बई ।

श्री ए० एस० नायक

आदेश दिया जाता है

कि इस संकल्प की एक प्रति व्यापार सलाहकार परिषद् तथा व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिवों, प्रधान-मंत्री सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालय तथा भारत में सभी राज्य सरकारों को भेजी जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सार्वजनिक सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ए० सी० बनर्जी, संयुक्त सचिव

